एम दुर्गा सिंह एवं अन्य

बनाम

यादगिरी और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 5645 वर्ष 2006)

अप्रैल 18, 2018

[मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति]

आंध्र प्रदेश भूमि कब्ज़ा (निषेध) अधिनियम, 1982 - धारा 8(1) - जमीन हथियाना- अपीलकर्ता द्वारा 1982 अधिनियम के तहत प्रतिवादी के खिलाफ भूमि हड़पने का मामला दायर करना - आरोप है कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं के स्वामित्व वाली लगभग 500 वर्ग गज भूमि हड़प ली - विशेष न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी - अपीलकर्ता ने पहले ही सिविल कोर्ट के समक्ष अतिक्रमण और भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कुछ कार्यवाही दायर की थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया था - विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ रिट याचिका भी खारिज - अपील पर, माना गया: अपीलकर्ताओं ने स्वयं सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब वे यह नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत फोरम का दरवाजा खटखटाया - यदि अपीलकर्ताओं का मानना है कि सिविल कोर्ट के पास उनके द्वारा शुरू किए गए मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो कार्रवाई का उचित तरीका मुकदमों को वापस लेना और अधिनियम के तहत आगे बढ़ना होता, न कि आगे की कार्यवाही को आगे बढ़ाना - अपीलकर्ताओं ने या तो गलत मंच पर मुकदमेबाजी करके या सही मंच पर न जाकर परेशानी को आमंत्रित किया - इसके लिए, अपीलकर्ता स्वयं दोषी हैं और सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की कमी के पर्दे के पीछे छिप नहीं सकते - अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को पूरी सुनवाई का मौका दिया गया - विशेष अदालत ने माना कि अपीलकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे कि वे अनुसूचित संपत्ति के मालिक हैं; उत्तरदाताओं ने कानूनी अधिकार के बिना मुकदमे की संपत्ति पर अतिक्रमण किया था, इस प्रकार, वे भूमि हड़पने वाले थे; और यह कि उत्तरदाताओं द्वारा कथित तौर पर हड़पी गई भूमि के बारे में कोई निश्चितता नहीं है - अपीलकर्ताओं ने सिविल कोर्ट द्वारा नियुक्त स्थानीय आयुक्त द्वारा दी गई एक रिपोर्ट पर भरोसा करने की मांग की, जिसमें बहुत कुछ संकेत नहीं दिया गया था - उक्त रिपोर्ट विशेष न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में या यहां तक कि मुकदमे में भी साबित नहीं हुई थी - मोरेसो, रिपोर्ट की सत्यता के संबंध में स्थानीय आयुक्त की जांच नहीं की गई - इसके अलावा, यदि अपीलकर्ताओं का यह कहना कि 1982 के बाद दायर किए गए मुकदमे सुनवाई योग्य नहीं हैं, तो स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट भी अधिकार क्षेत्र के बिना है - इस प्रकार, विशेष न्यायालय ने भूमि हड़पने के मामले को खारिज करना पूरी तरह उचित ठहराया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5645 वर्ष 2006

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित हैदराबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 12.12.2002 के विरुद्ध रिट याचिका संख्या 21808 वर्ष 1994 में।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

बीएच मार्लापल्ली, वरिष्ठ अधिवक्ता, अपूर्व शुक्ला, वी श्रीधर रेड्डी, अजीत वाघ, आदित्य गग्गर, वीएन रघुपति, एम किशन सिंह अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

बी आदिनारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम श्रीनिवास आर राव, अरुण देवदास, शरवंत, गोली रामकृष्ण, श्रीमती सुधा गुप्ता, वीजी प्रगासम, जी रामकृष्ण प्रसाद, सुयोधन बायरापानेनी, सुश्री फिल्ज़ा मूनिस, भरत जे जोशी, पी वेंकट रेड्डी, प्रशांत त्यागी (मेसर के लिए) वेंकट पलवई लॉ एसोसिएट्स) प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति मदनब लोकुर द्वारा सुनाया गया।

1. जिस दृढ़ता और सहनशक्ति के साथ अपीलकर्ता दशकों से मुकदमा लड़ रहे हैं उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम बाद में अपीलकर्ताओं द्वारा शुरू की गई विभिन्न कार्यवाहियों का उल्लेख करेंगे जो हमें यह विश्वास दिलाती हैं।

2. इस अपील में विवाद हैदराबाद जिले के चिक्कडपल्ली मंडल के लिंगमपल्ली गांव के सर्वेक्षण संख्या 87 में 500 वर्ग गज से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि यह क्षेत्र सर्वेक्षण संख्या 87 में कुल क्षेत्रफल का एक हिस्सा है, जो लगभग 0-34 गुंटा एकड़ है। अपीलकर्ता प्रश्नाधीन भूमि के मालिक होने का दावा करते हैं जबकि उत्तरदाताओं को भूमि हड़पने वाला कहा जाता है जो बेदखल होने के लिए उत्तरदायी हैं।

3. वाद संख्या 106 वर्ष 1967 उत्तरदाताओं के पूर्ववर्तियों के विरुद्ध पूर्ववर्तियों द्वारा दायर किया गया था। मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों को सुविधा के लिए, अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं के रूप में संदर्भित किया जाता है, भले ही हित में उनके पूर्ववर्ती कौन थे। इस मुकदमे में सर्वे नंबर 87 से 20 वर्ग गज जमीन का दावा किया गया था. कागजी किताब में एक जगह जमीन की सीमा 33.5 वर्ग गज दिखाई दे रही है। जो भी हो, मुकदमे को 29 मार्च, 1975 को ट्रायल कोर्ट द्वारा योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था और यह माना गया था कि अपीलकर्ता मुकदमे की भूमि पर अपना स्वामित्व साबित करने में सक्षम नहीं थे और सीमाओं को विशेष रूप से नहीं बताया गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसले में दिए गए निष्कर्षों में से एक यह है कि उत्तरदाताओं के पास विवाद वाली भूमि पर एक घर था।

4. अपीलकर्ताओं ने बाद में 79.49 वर्ग गज भूमि पर प्रतिवादियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए मूल वाद संख्या 1167 वर्ष 1975 दायर किया। इस मुकदमे में पार्टियों के बीच समझौता हुआ और 18 अक्टूबर, 1979 को इसका निपटारा कर दिया गया। समझौते के परिणामस्वरूप, उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ताओं को 5887.50 रुपये की राशि का भुगतान किया, जिन्होंने विवाद में भूमि पर अपने सभी दावे छोड़ दिए।

5. 29 जून, 1982 को या उसके आसपास आंध्र प्रदेश भूमि हथियाने (निषेध) अधिनियम, 1982 (संक्षेप में, अधिनियम) लागू हुआ। अधिनियम की धारा 8(1) महत्वपूर्ण है और इस प्रकार है:

"8. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया एवं शक्तियाँ:-

(1) विशेष न्यायालय या तो स्वत: संज्ञान ले सकता है या किसी व्यक्ति अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर भूमि हथियाने के किसी भी कथित कृत्य से उत्पन्न होने वाले या स्वामित्व और शीर्षक के संबंध में प्रत्येक मामले का संज्ञान ले सकता है और सुनवाई कर

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सकता है या इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में, हड़पी गई भूमि पर वैध कब्ज़ा, और ऐसे आदेश पारित करना (अंतरिम निर्देशों के माध्यम से आदेश सहित) जो वह उचित समझे;"

6. अधिनियम के बावजूद, अपीलकर्ताओं ने 139 वर्ग गज के संबंध में मूल मुकदमा संख्या 991 वर्ष 1987 दायर किया, जिसके बारे में कहा गया कि यह उत्तरदाताओं द्वारा हड़प लिया गया था। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किया गया मुकदमा अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर सिविल अदालत में चलने योग्य नहीं है। किसी भी घटना में, अपीलकर्ताओं ने मुकदमा आगे बढ़ाया जिसे 19 सितंबर, 1991 को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया। इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने मुकदमे की बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया लेकिन वह आवेदन भी खारिज कर दिया गया। हमें बताया गया कि एक पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई है।

7. इसके बाद अपीलकर्ताओं ने मूल वाद संख्या 1095 वर्ष 1993 दायर किया और दावा किया कि उन्हें आशंका थी कि प्रतिवादी 369 वर्ग गज के क्षेत्र पर अतिक्रमण करेंगे। इस मुकदमे को सिविल कोर्ट ने 30 सितंबर, 2002 के एक फैसले और डिक्री द्वारा खारिज कर दिया था।

8. मूल वाद संख्या 1095 वर्ष 1993 में सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में यह दर्ज है कि अपीलार्थियों ने निम्नलिखित अन्य कार्यवाही संस्थित की थी:

आपराधिक शिकायत सीसी 754/67 सिटी मजिस्ट्रेट ओएस 106/67 पर चतुर्थ सहायक न्यायाधीश की फाइल, सीसीसी हैदराबाद	उदय सिंह बनाम मल्लेशम शंभू सिंह बनाम मल्लेशम	स्थायी का निषेधाज्ञा क्षेत्र भूमि 33.5 वर्ग गज क्र.सं.87 चिक्कडपल्ली	पर खारिज कर दिया गया 10.6.68 के साथ बर्खास्त कर दिया गया लागत 29.3.75
ए एस 83/75 अपील	- करना -	- करना –	12.10.76 को खारिज कर दिया गया
ओ.एस. 1167/75 पर VII सहायक बनाम की फ़ाइल न्यायाधीश, सीसीसी हैदराबाद	उदय सिंह बनाम मल्लेशम	भूमि पर कब्ज़ा 78.49 वर्ग गज	18.10.79 को मुकदमा ख़ारिज कर दिया गया। प्रतिवादियों का कब्ज़ा स्वीकार किया. मौजूदा ढांचे से छेड़छाड़ न की जाए।
ओएस 677/80 पर चतुर्थ सहायक की फ़ाइलें न्यायाधीश, सीसीसी हैदराबाद	बी अनंत लक्ष्मी और पी मल्लेशम	शाश्वत के लिए निषेधाज्ञा खुले के संबंध में भूमि गिर रही है के भवन के उत्तर में मल्लेशम	27.10.1984 को बर्खास्त कर दिया गया
ओपी 227/80 वी अपर शंभु सिंह न्यायाधीश, सीसीसी और हैदराबाद मल्लेशम	शंभू सिंह और मल्लेशम	128 वर्ग गज भूमि की वसूली	याचिका 16.03.1987 को खारिज कर दी गई
तृतीय सहायक न्यायाधीश, सीसीसी हैदराबाद की फाइल पर ओएस 991/87	- करना -	139 की रिकवरी क्रमांक 87 में स्क्वायर यार्ड लिंगमपल्ली गाँव पुनर्स्थापना के लिए	19.09.1991 को बर्खास्त कर दिया गया
ओएस में आईए 239/92 991/87		पुनर्स्थापना के लिए	17.09.1993 को बर्खास्त कर दिया गया

9. हम उल्लेख कर सकते हैं कि हमारे समक्ष अपील के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा पुराने वादी के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि करते हुए कुछ अन्य कार्यवाही भी शुरू की गई थीं।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

10. अंततः, अपीलकर्ताओं ने अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालय के समक्ष भूमि कब्जा मामले संख्या 17 वर्ष 1993 को प्राथमिकता दी। इस मामले में अपीलकर्ताओं द्वारा आग्रह किया गया तर्क यह था कि उत्तरदाताओं ने सर्वेक्षण संख्या 87 में अपीलकर्ताओं के स्वामित्व वाली लगभग 500 वर्ग गज भूमि हड़प ली थी। विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को 11 अक्टूबर, 1994 के एक निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

11. इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 21808 वर्ष 1994 को प्राथमिकता दी। यह रिट याचिका 12 दिसंबर, 2002 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दी गई।

12. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारे समक्ष आग्रह किया कि 1982 के बाद सिविल कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा शुरू की गई कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर चलने योग्य नहीं थी और सिविल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री अमान्य थी। इसलिए, किसी भी चीज़ ने अपीलकर्ताओं को अधिनियम के तहत विशेष अदालत में जाने से नहीं रोका। 'किरण सिंह बनाम चमन पासवान' पर भरोसा रखा गया। इस मुद्दे पर गहराई से जाना ज़रूरी नहीं है।

13. हम केवल यह कह सकते हैं कि अपीलकर्ताओं ने स्वयं सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अब उनके लिए यह तर्क देने में बहुत देर हो चुकी है कि उन्होंने गलत फोरम का दरवाजा खटखटाया। यदि अपीलकर्ता ईमानदारी से मानते हैं कि सिविल कोर्ट के पास उनके द्वारा शुरू किए गए मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो कार्रवाई का उचित तरीका मुकदमों को वापस लेना और अधिनियम के तहत आगे बढ़ना होगा। इसके बजाय, जहां तक मूल वाद संख्या 991 वर्ष 1987 का सवाल है, गैर-अभियोजन के लिए मुकदमा खारिज होने के बाद, अपीलकर्ताओं ने बहाली के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता दी, जिसे शायद एक पुनरीक्षण याचिका के रूप में भी खारिज कर दिया गया था। कम से कम उस समय, अपीलकर्ताओं को यह समझ आनी चाहिए थी कि इस मामले में सिविल कोर्ट का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, लेकिन इसके विपरीत, वे मुकदमेबाजी के साथ आगे बढ़े और बाद में सिविल कोर्ट में कुछ और कार्यवाही शुरू की।

14. हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कानून में जो भी स्थिति हो, अपीलकर्ताओं ने या तो गलत मंच पर मुकदमेबाजी करके या सही मंच पर न जाकर परेशानी को आमंत्रित किया। इसके लिए, अपीलकर्ता केवल स्वयं को दोषी मानते हैं और सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की कमी के पर्दे के पीछे छिप नहीं सकते।

15. इसके अलावा, अपीलकर्ताओं को अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई का मौका दिया गया था जिसमें निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए थे:

1. क्या याचिकाकर्ता याचिका अनुसूची संपत्ति के मालिक हैं?

2. क्या उत्तरदाता अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1982 के अर्थ में भूमि हड़पने वाले नहीं हैं।

3. किस राहत के लिए।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अतिरिक्त मुद्दा 12.09.1994 को तैयार किया गया, क्या निर्णय न्यायिक रूप से कार्य करते हैं और क्या आवेदकों को यह तर्क देने से रोका जाता है कि वे उक्त निर्णयों के आधार पर अनुसूचित संपत्ति के मालिक हैं?

16. विशेष न्यायालय ने इन सभी मुद्दों से निपटा और निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे कि वे अनुसूची संपत्ति के मालिक हैं और उनके स्वामित्व को स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। यह भी माना गया कि अपीलकर्ता यह दिखाने में सक्षम नहीं थे कि उत्तरदाताओं ने कानूनी अधिकार के बिना मुकदमे की संपत्ति पर अतिक्रमण किया था और इसलिए अधिनियम के अर्थ के तहत भूमि हड़पने वाले थे।

17. इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि विशेष न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से हड़पी गई भूमि के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। भूमि का स्थान स्पष्ट नहीं था, क्षेत्र स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं गया था, भूमि का विवरण बहुत अस्पष्ट था, भूमि का कोई माप नहीं दिया गया था और भूमि की सीमाएँ भी स्पष्ट नहीं थीं।

18. इस संबंध में, हमारा ध्यान प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा विशेष न्यायालय के समक्ष दायर वादपत्र में बताए गए प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से हड़पी गई भूमि के विवरण की ओर आकर्षित किया गया था। भूमि की सीमा निम्नलिखित शब्दों में वर्णित है: लिंगमपल्ली गांव चिक्कड़पल्ली हैदराबाद के क्रमांक 87 में 34 गुंटा भूमि से बाहर संरचनाओं के साथ दक्षिण: नारायणगुडा ब्रिज/मेन रोड पूर्व: प्रतिवादी का घर पश्चिम: याचिकाकर्ताओं का घर या प्रतिवादी के पति पी मल्लेशेम के घर पर संरचनाएं और उत्तरदाताओं के पिता संख्या 2 से 5 और भूमि, जिनके पास वे उत्तरदाताओं के अस्थायी मुल्गी भी हैं। उनके द्वारा निर्मित क्रमांक 6 से 13 तक को किस प्रकार सुरक्षित किया गया तथा उत्तरदाताओं द्वारा 1 से 5 तक अनाधिकृत रूप से तथा अवैध रूप से निर्मित भूमि का बाजार मूल्य कैसे सुरक्षित किया गया। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विशेष न्यायालय के समक्ष वादपत्र में अपीलकर्ताओं द्वारा स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि उत्तरदाताओं ने विचाराधीन भूमि पर एक निर्माण किया था, जो कि मुकदमा संख्या 106 वर्ष 1967 में भी दिया गया था।

19. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने मूल वाद संख्या 1095 वर्ष 1993 में सिविल कोर्ट द्वारा नियुक्त स्थानीय आयुक्त द्वारा दी गई एक रिपोर्ट पर भरोसा करने की मांग की। स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट 17 अक्टूबर, 1993 की है और इसे प्रदर्श ए 42 के रूप में चिह्नित किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि उत्तरदाताओं के कब्जे में 607 वर्ग गज है जो लगभग 5 गुंटा है और अपीलकर्ताओं के कब्जे में 3025 वर्ग गज है जो लगभग 25 गुंटा है। मूलतः स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट इससे अधिक कुछ नहीं दर्शाती। हमने यह भी पाया कि यह रिपोर्ट मुकदमा संख्या 1095 वर्ष 1993 में प्रदर्शित की गई थी, लेकिन यह विशेष न्यायालय या यहां तक कि मुकदमा संख्या 1095 वर्ष 1993 के समक्ष साक्ष्य में साबित नहीं हुई थी। रिपोर्ट की सत्यता या अन्यथा के संबंध में स्थानीय आयुक्त से जांच नहीं की गई थी। हमने यह भी पाया कि प्रदर्श ए-42 केवल 139 वर्ग गज भूमि से संबंधित है, न कि 500 वर्ग गज से। यह इस तथ्य से बिल्कुल अलग है कि यदि

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अपीलकर्ताओं का तर्क यह है कि 1982 के बाद स्थापित मुकदमे चलने योग्य नहीं हैं, तो स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट भी अधिकार क्षेत्र के बिना है।

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर भूमि हड़पने के मामले को खारिज करने में विशेष न्यायालय पूरी तरह से उचित था और उनके द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने में उच्च न्यायालय भी उचित था। हमें व्यक्त किए गए विचारों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है और तदनुसार हम अपीलकर्ताओं पर कई दशकों तक लगातार और निरर्थक मुकदमेबाजी के माध्यम से कई अदालतों में जाने के लिए 50,000/- रुपये के जुर्माने के साथ अपील को खारिज करते हैं।

निधि जैन अपील खारिज।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"